



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-पी.आर.एन. दक्षिण-1/2023/डी-450

दिनांक: 15/02/2023

श्री योगेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा
निवासी- लिसोडा वाला कुँआ बस स्टैंड,
अलवर पोस्ट ऑफिस मोतीझूगरी, राजस्थान।

विषय :- मित्र गृ.नि.स.स. लि. की योजना "ग्रीन विलाज, ग्राम नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावास, के भूखंड संख्या 02, क्षेत्रफल 761.02 वर्ग मीटर के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2023 को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु किये गये आवेदन अनुसार मित्र गृ.नि.स.स. लि. की योजना "ग्रीन विलाज ग्राम नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावास, के भूखंड संख्या 02, क्षेत्रफल 761.02 वर्ग मीटर पर स्टिल्ट +18 मीटर ऊँचाई आवासीय ईकाई के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 14.02.2023 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14.02.2023 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर आन्तरिक संशोधन कर आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है:-

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से 05 वर्ष तक प्रभावी हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि

(सुरेश चौधरी)

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।

9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन-ए) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत संस्थानिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
23. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

(सुरेश चौधरी)

उपायुक्त

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

24. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. निर्माणाधीन/निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
29. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
30. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
31. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा।
32. एकीकृत भवन विनियम, 2020 की धारा 15.2/रीको भवन विनियम के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेंगी।
33. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
34. एकीकृत भवन विनियम, 2020 की धारा 15.5/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
35. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
36. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
37. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

(सुरेश चौधरी)

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बन्धित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल} , जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

38. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
39. एकीकृत भवन विनियम, 2020 की धारा 18.3/रिको भवन विनियम की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
40. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
41. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर संपूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे जिसमें सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
42. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनो के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो और पर्दे लगवाये जायें।
55. एकीकृत भवन विनियम, 2020 की धारा 18.4/रिको भवन विनियम के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
44. उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम अनुसार अन्य सभी सम्बंधित शर्त का पालन किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

संलग्न:- अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति।

भवदीय

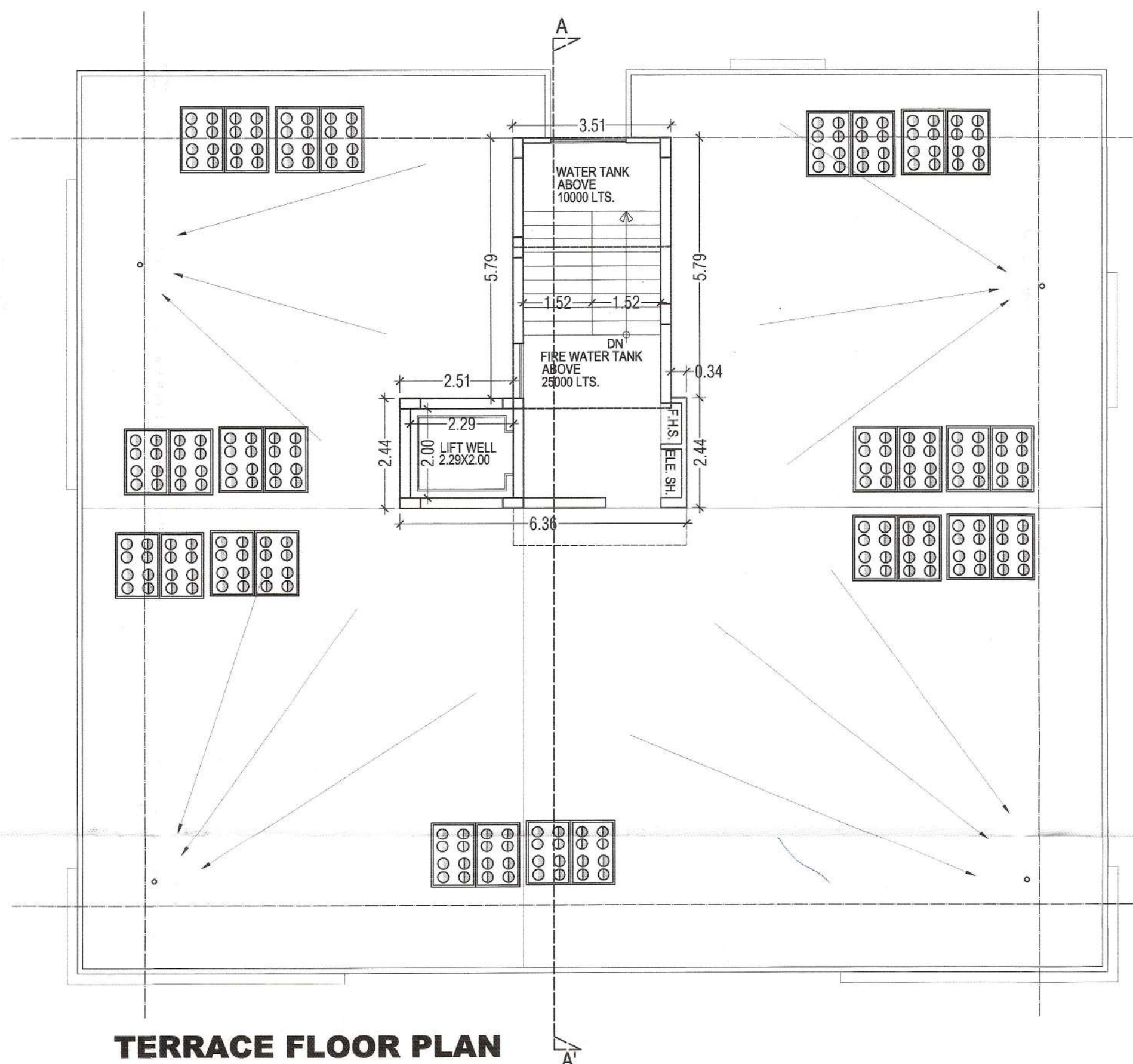
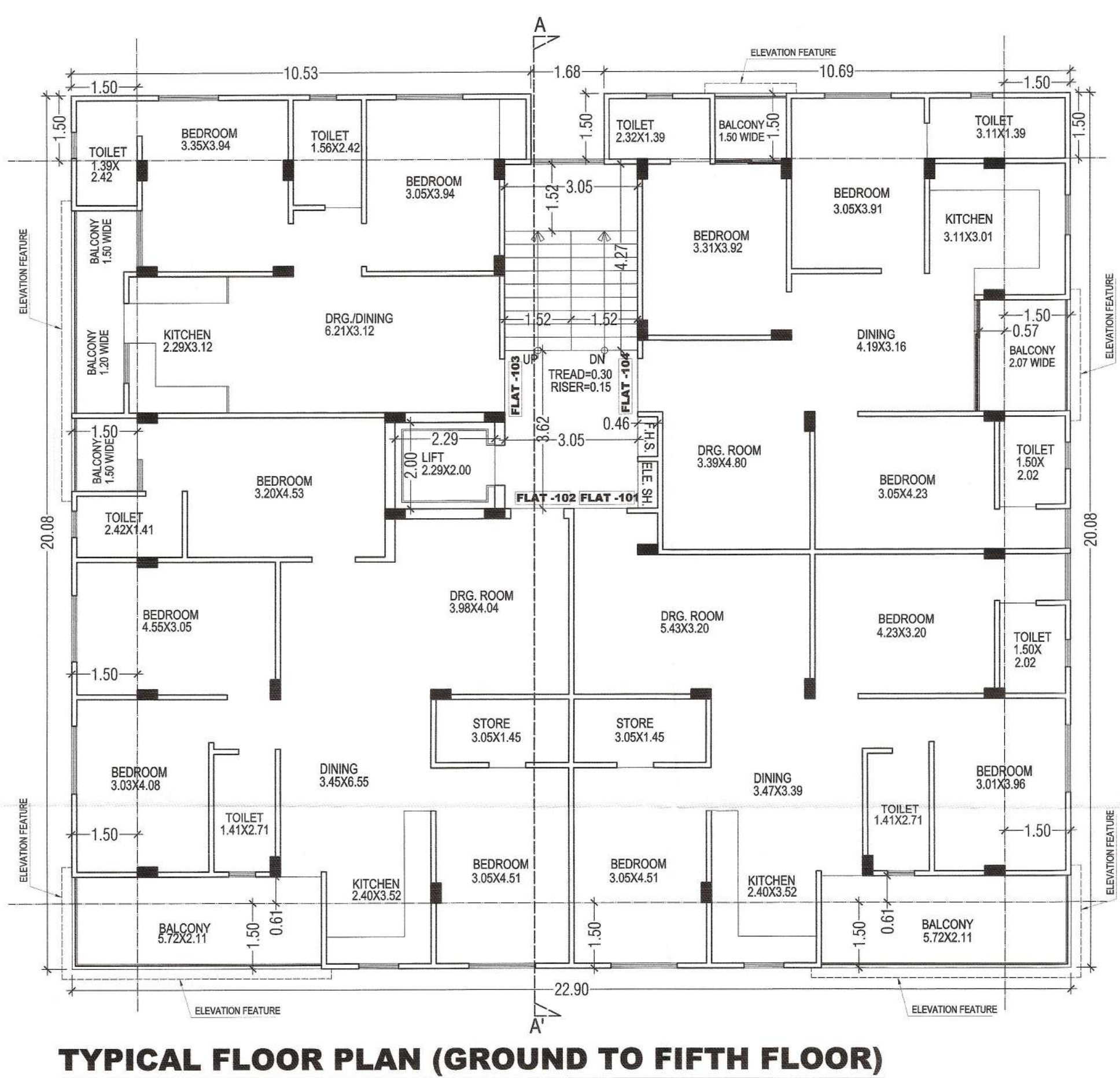
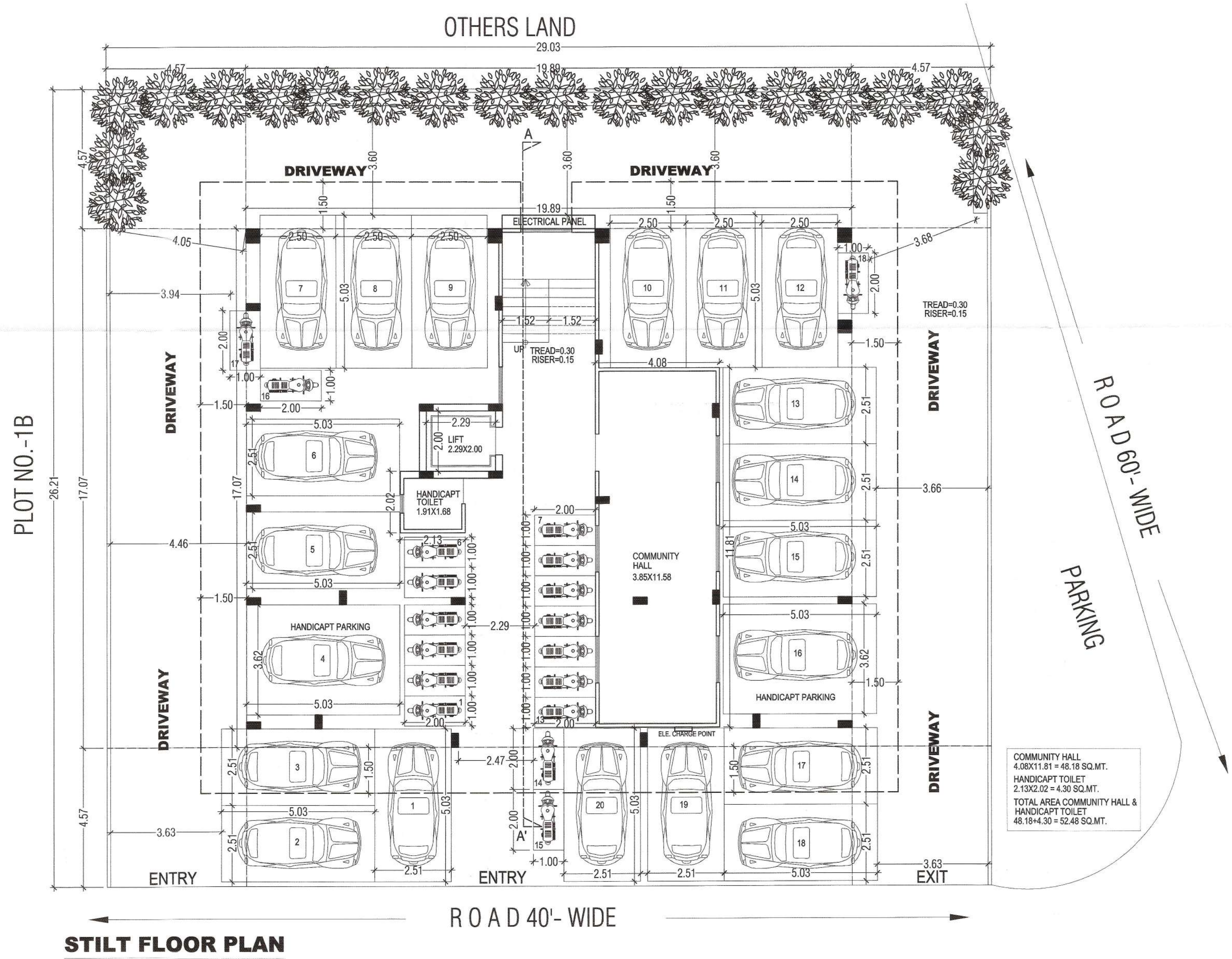
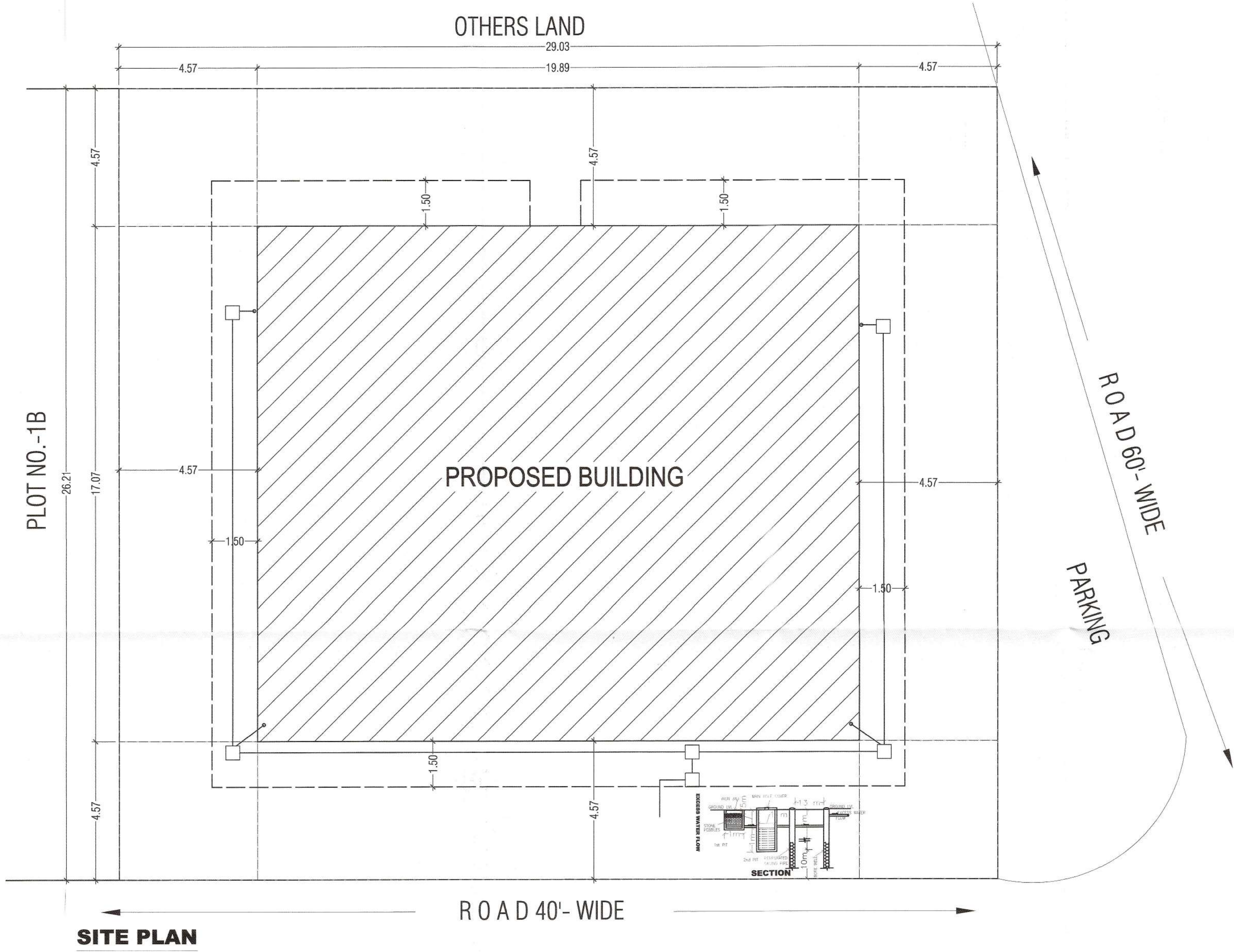
उपायुक्त, पीआरएन (दक्षिण-1)
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर
जोन पृथ्वीराज नगर (दक्षिण प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



TOTAL PLOT AREA = 761.02 SQ. MT.
AVAILABLE B.A.R. = 2.00

SETBACK	REQUIRED SETBACK	PURPOSED SETBACK
FRONT	4.57 MT.	4.57 MT.
SIDE 1	4.57 MT.	4.57 MT.
SIDE 2	4.57 MT.	4.57 MT.
REAR	4.57 MT.	4.57 MT.

S.NO.	FLOOR	B.A.R. SQ.M.	GROSS BUILT UP SQ.M.
1.	STILT	-	339.52
2.	GROUND	452.49	452.49
3.	FIRST	452.49	452.49
4.	SECOND	452.49	452.49
5.	THIRD	452.49	452.49
6.	FOURTH	452.49	452.49
7.	FIFTH	452.49	452.49
8.	TERRACE	-	35.83
TOTAL		2714.94	3090.29

REQUIRED PARKING
2714.94/115 = 23.60 E.C.U.
GUEST PARKING (10%) = 23.60x10 = 236
TOTAL PARKING = 23.60+236 = 25.96 = 26 E.C.U.

75% CARS = 26x0.75 = 19.50 = 20 NOS.
25% SCOOTERS = 26 - 20 = 6x3 = 18 NOS.

S.NO.	FLOOR	CAR	SCOOTER
1.	STILT	20	18

REQUIRED PLANTATION
REQUIRED TREE = 761.02/80 = 9.51x2 = 19.02 NOS.
PROPOSED TREE = 20 NOS.

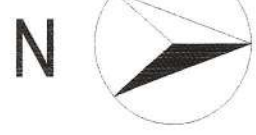
COMMUNITY HALL
4.08x11.61 = 48.18 SQ.MT.
HANDICAPT TOILET
2.13x2.02 = 4.30 SQ.MT.
TOTAL AREA COMMUNITY HALL &
HANDICAPT TOILET
48.18+4.30 = 52.48 SQ.MT.

SHEET NO.=01

Project:
Proposed Residential Building at
Plot no. 02, Green Villag, Nand
Kisorpura, Manyawas, Jaipur.

TITLE:
FLOOR PLANS

SCALE 1:100



ARCHITECT
Design Space Consultants
Architects & Interior Designer

ADDRESS:
Plot no. 65, Acme Heights, Visheshwaria Nagar,
Behind D.C. Hospital, Triveni nagar,
Gopalpura bye-pass Jaipur, Rajasthan
ph: 0141-2763533, 9828117586
E-mail: sunil@designspaceconsultants.com
Website: www.designspaceconsultants.com

OWNER ARCHITECT

Ar. SUNIL KUMAR JAIN
COUNCIL OF ARCHITECTURE
CA/2014/04802

वीर खरीव समिति की देख रिया
11/2/23 को रखा बाकर भवन सामग्री
अनुमोदित किया गया

साराधन निरोधक
पी.आर.सी. (विकी) - के. ज. खन्ना

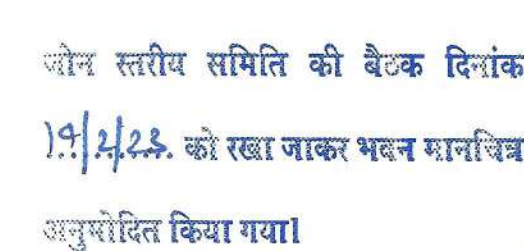
उपस्थित
नगर निगम
जापुर



NORTH SIDE ELEVATION



WEST SIDE ELEVATION



~~सहायक नगर नियोजक~~
~~पी.आर.एन. (दक्षिण) म.प्र. प्रा. जयपुर~~

उपायुक्त
जोन-विकास (दक्षिण-पश्चिम)
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर

ARCHITECT

Ar. SUNIL NIRMAL KUMAR JAIN
COUNCIL OF ARCHITECTURE
CA/2014/64602